न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 138 / 2024

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. लाधूराम पुत्र भूराराम उम्र 41 वर्ष
2. नारणाराम पुत्र भूराराम उम्र 42 वर्ष
3. बाबूराम पुत्र भूराराम उम्र 46 वर्ष
4. केहराराम पुत्र भूराराम उम्र 38 वर्ष
5. ठाकराराम पुत्र भूराराम उम्र 35 वर्ष
6. धमी जेवी पत्नी भूराराम जातियान जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा ।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. छोगाराम पुत्र खेराजराम वयस्क
2. देरामाराम पुत्र रूपाराम वयस्क
3. धुडाराम पुत्र साताराम वयस्क
4. भूराराम पुत्र खेराजराम वयस्क
5. धनाराम पुत्र खेराजराम वयस्क
6. मानीदेवी पत्नि खेराजराम वयस्क
7. हेमाराम पुत्र रूपाराम वयस्क
8. पूंजाराम पुत्र मलाराम वयस्क
9. पदमाराम पुत्र मलाराम वयस्क
10. मिसराराम पुत्र धर्माराम वयस्क
11. मानाराम पुत्र लिखमाराम वयस्क जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
12. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा
13. शाखा प्रवन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी शाखाप्रबंधक डम्ठ भ्ळ।
14. शाखा प्रबंधक RMGB सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अर्जुनराम प्रजापत,वकील विप्रार्थी संख्या 8 से 10 की ओर से।
3. विप्रार्थी सं. 12 के पैरोकार उप.।
4. विप्रार्थी सं. [illegible] एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 27.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप संक्षिप्त में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थीगण काश्तकार है एंव प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 417 रकबा 1.3996 हैक्टेयर ग्राम खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाडे आदि खसरा नम्बर 417 बने हुऐ है। कि प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 417 से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थी 1 से 7 के खसरा संख्या 415 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, व विप्रार्थी संख्या 8 से 10 का खसरा नम्बर 407 रकबा 5.3475 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 8 से 11 का खसरा नम्बर 402 रकवा 6.4720 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 11 का खसरा नम्बर 403 रकबा 0.1942 हेक्टयेर मौजा खारा महेचान पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 417 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु भारी समस्या होती है झगडा होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। कि प्रार्थीगण को अपने जोत तक उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास आवागमन का अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह प्रचलित रास्ता राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थीगण की खोतदारी में होने से वे प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त प्रचलित रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है, वे इस रास्ते की भूमि के बदले प्रतिकर के रूप में न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि अदा करने हेतु सहमत है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 7, जो खसरा संख्या 415 रकबा 1.8445 हैक्टेयर के रिकॉडेड खातेदार है, ने अपने जवाब में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम इकलौता विकल्प होना बताकर प्रस्तावित रास्ते हेतु अपने खेत की भूमि बिना प्रतिफल के देने की सहमति व्यक्त की।

विप्रार्थी संख्या 8 से 10 ने प्रार्थना पत्र, रास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिणधरी से वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तलव की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 417 रकबा 1.3996 हैक्टेयर ग्राम खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाडे आदि खसरा नम्बर 417 बने हुऐ है। कि प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 417 से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थी 1 से 7 के खसरा संख्या 415 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, व विप्रार्थी संख्या 8 से 10 का खसरा नम्बर 407 रकबा 5.3475 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 8 से 11 का खसरा नम्बर 402 रकवा 6.4720 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 11 का खसरा नम्बर 403 रकबा 0.1942 हेक्टयेर मौजा खारा महेचान पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 417 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु भारी समस्या होती है झगडा होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। कि प्रार्थीगण को अपने जोत तक उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास आवागमन का अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह प्रचलित रास्ता राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थीगण की खोतदारी में होने से वे प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते है। साथ ही निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 1 से 7 द्वारा अपनी ओर से भी प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों को स्वीकारते हुए अपनी खातेदारी जोत में से बिना प्रतिफल के रास्ता दिये जाने में सहमति व्यक्त की है तथा तहसीलदार सिणधरी से [illegible] विकल्प के तौर पर रास्ते की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते [illegible] परिशिष्ठ माफिक प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया है। अतः प्रार्थीगण के आ[illegible]न की समस्या के समाधान हेतु विप्रार्थीगण के खेतों [illegible] गैर मुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में इन्द्राज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

इसके विपरित वकील विप्रार्थी संख्या 8 से 10 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपने प्रार्थना पत्र वास्ते प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थी संख्या 8 से 10 जवाब दिये बगैर एकतरफा सुनवाई करते हुऐ मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से मंगवाई गई है।न्यायालय से जारी मौका रिपोर्ट आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि धारा 251ए के तहत मौका रिपोर्ट तैयार करने के समय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता के सिवाय अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध हो अथवा प्रार्थीगण के आवागमन का प्रस्तावित के सिवाय अन्य वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हो तो उसका मौका रिपोर्ट में हवाला दिया जाना चाहिऐ, लेकिन तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थान से अन्य स्थान पर प्रार्थी के खेत व सड़क वीच सवसे निकटतम दूरी होते हुऐ भी उसका हवाला मौका रिपोर्ट में नहीं दिया है, साथ ही खसरा नम्बर 405 मे जाने वाला स्थाई चलायमान रास्ता प्रार्थी के खेत को जोड़ते हुऐ निकल रहा है, इसलिये आवागमन का वेकल्पिक स्रोत उपलब्ध होते हुऐ भी मौका रिपोर्ट में उसका अंकन नहीं किया है। कि इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित स्थान नजदीक रास्ता उपलब्ध है इसलिये प्रस्तावित स्थान पर जब स्थाई तामिरात मौजूद है तो उस स्थान पर रास्ता निकाला जाना सम्भव नहीं है और उक्त पक्के स्थाई अवसंरचना के मौजूद होते हुऐ भी मौका रिपोर्ट में इसका अंकन नहीं किया गया है, इस प्रकार मौका रिपोर्ट एक पक्षीय और दुर्भावना से प्रेरित होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रस्तुत मौका जो प्रार्थीगण के कहे अनुसार एकतरफा बनाई गई है, जिस पर विप्रार्थीगण को घोर आपत्ति है। अतः विप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार करते हुऐ एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः तथ्यात्मक व वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देशो के साथ तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका जांच कर निष्पक्ष रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

इसके अतिरिक्त विप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों का समर्थन करते हुए तथा प्रार्थीगण के रास्ते की मांग को वाजिब बताते हुए अपने खातेदारी खसरे में से प्रस्तावित रास्ता भूमि बिना क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किए सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ता रूप में दर्ज किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकर सरकार ने अपनी बहस के तथ्यों में विप्रार्थी सं. 8 से 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

अपने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में खसरा सं 407 व 405 परस्पर समानान्तर है जिसके परिमाप अनुसार बराबर क्षेत्रफल की भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जानी प्रस्तावित है यदि अब नये सिरे से पड़ौसी खेत खसरा सं. 405 में से उसी लम्बवत व समान दूरी के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की जाती है, तो मात्र पक्षकारान की नयी प्रविष्ठि हो पायेगी, परन्तु रकबे के कोई अन्तर नहीं आयेगा। ऐसी स्थिति में जब पर्वूवत पक्षकारान पत्रावली पर कायम है तथा परिशिष्ठ अनुसार चाहे गये रास्ते की खसरा सं. 407 व 405 में समान होने से विप्रार्थी सं. 8 से 10 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है तो उन्हें किसी प्राकर का कोई उजर एतराज नहीं है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थीगण ने ग्राम खारा महेचान में अवस्थित खसरा संख्या 417 में से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु इसी ग्राम के खसरा संख्या 415,407,402,403 में से चल रहा रास्ता सुविधाजनक, प्रचलित व इकलौता होना एवं इसकी उन्हें अत्यांतिक आवश्यकता होना बताकर उक्त रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया। रास्ते की आवश्यकता की ताईद विप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने अपने जवाब में करते हुए अपने खातेदारी खेत की भूमि में प्रस्तावित रास्ते की भूमि बिना क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किए सरकारी खाते में दिए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। विप्रार्थी संख्या 8 से 10 ने अपने प्रार्थना पत्र प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का उल्लेख किया है। विप्रार्थी सं. 8 से 10 की आपत्ति पर प्राप्त मौका रिपोर्ट के विवेचन में पाया गया कि खसरा संख्या 407 एवं समानान्तर खसरा संख्या 405 के लम्बाई–चौड़ाई समान रूप से जैसा कि पैरोकर सरकार द्वारा अपनी बहस के तथ्यों पर व्यक्त किया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हैं। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी सं. 8 से 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने से काबिल खारिज योग्य है। [illegible] तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में वर्णित [illegible] ही उसके कटान मार्ग तक अपने खातेदारी खेत से आवागमन का इकलौता विकल्प है और इस रास्ते की उसे अत्यंतिक आवश्यकता है। विप्रार्थी सं. 1 से 7 की तरफ से बिना प्रतिफल के रास्ता दिये जाने में लिखित कथन प्रस्तुत किये है। विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

8 से 11 के खेत खसरा संख्या 403,402,407 रकबा क्रमशः 0.1942,6.4720,5.3475 हैक्टयर में से, मौका रिपोर्ट के अनुसार, रकबा क्रमशः 0.0378,0.0098,0.1281 हैक्टेयर भूमि रास्ते में जा रही है और उक्त खसरे की डी.एल.सी. दर 218325 प्रति हैक्टेयर है। चूंकि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रभावित खातेदारान को डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा किए जाने का प्रावधान है। अतः रकबा क्रमशः 0.0378,0.0098,0.1281 हैक्टेयर के बदले प्रार्थीगण से विप्रार्थी संख्या 8 से 11 को दिलवाए जाने है।

लिहाजा विप्रार्थी सं. 8 से 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 417 से सरकारी कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 403 रकबा 0.1942 हैक्टेयर में से 54 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.0378 हैक्टेयर होगा, खसरा संख्या 402 रकबा 6.4720 हैक्टेयर में से 14 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.0098 हैक्टेयर होगा, खसरा संख्या 407 रकबा 5.3475 हैक्टेयर में से 183 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.1281 हैक्टेयर होगा तथा खसरा संख्या 415 रकबा 1.8445 हैक्टेयर में से 135 मीटर लम्बा एवं 7 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.0945 हैक्टेयर होगा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चूंकि खसरा संख्या 415 के खातेदार बिना क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किए अपने खेत से रास्ते की भूमि देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 403,402,407 में से रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले देय क्षतिपूर्ति राशि 76750/— रूपए राजकोष में जमा करवाने पर रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज किए जाते है। तहसीलदार सिणधरी खसरा संख्या 403,402,407 के खातेदारों को उनके द्वारा धारित रकबा अनुसार राशि का भूगतान करें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिए पत्र क्रमांक भू.अ./वाद/2025/3031 दिनांक 22.11.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा जिसमें बरंग लाल से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:12 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner